

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2 (5)2012-13/गोप्र/प्रमुवस/

दिनांक मई, 2015

कार्यालय आदेश

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 25 के उपनियम 3 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंका के अनुसरण में ओवरसियर/उपअभियन्ता की पद की वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित सर्वेयर/फील्डमैन को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध ओवरसियर/उप अभियन्ता के पद पर वेतन श्रृंखला 9300-34800 पे बेण्ड-2, ग्रेड पे 10 (3200) में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किए जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रचलित किए जाते हैं। पदोन्नति पश्चात् पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन	पदोन्नति जिस तिथि से प्रभावी होगी
1	सुरेश कुमार शर्मा	राजू राम	भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि) लूणी नदी परियोजना, वन विभाग, सोजत रोड, (पाली)	भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि) लूणी नदी परियोजना, वन विभाग, सोजत रोड, (पाली)	1.9.2014
2	ओम प्रकाश शर्मा	विजय नारायण	उप वन संरक्षक दौसा	भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि) लूणी नदी परियोजना, वन विभाग, सोजत रोड, (पाली)	1.11.2014
3	विनोद कुमार अरुण	श्री राम	उप वन संरक्षक परियोजना टोंक	भू-संरक्षण अधिकारी, बनास नदी परियोजना, सवाईमाधोपुर	1.2.2015

वर्तमान में सेवारत उपरोक्त पदोन्नत लोक सेवक दिनांक 5.6.2015 तक उप अभियन्ता के पद पर हुए नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति नहीं देंगे तो उनकी पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।

(डॉ०एस.एस. चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 21 मई, 2015

क्रमांक एफ 2 (5)2012-13/गोप्र/प्रमुवस/1017-1028/C

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना, जयपुर/जयपुर।
3. भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि), लूणी नदी परियोजना, पाली/भू-संरक्षण अधिकारी बनास नदी परि. सवाईमाधोपुर।
4. उप वन संरक्षक, परियोजना, टोंक/दौसा
5. संबंधित अधिकारी श्री _____ कार्यालय _____ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।
6. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. रक्षी पत्रावली।

(शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान, जयपुर